न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 78/2010

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनिया
RAS

1 सागरमल आयु 80 साल पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी ढीगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नन्दाराम पुत्र मुंगाराम।
2 महावीर पुत्र मुंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ीगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी
अधिनियम 1956 बमुकदमा उनवानी नन्दाराम
बनाम सागरमल वगैरह दावा घोषणार्थ दुरूस्ती
रिकार्ड विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मु.नं. 137/09
तारीख फैसला दिनांक 17.05.2010

उपस्थित

1. श्री रोहताश कुमार अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–24.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा दावा संख्या 137/09 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट नन्दाराम ने प्रतिवादीगण अपीलांटस के विरूद्व विचारण न्यायालय में दावा घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 904/813, 813,905/813,812,814 वाके ग्राम ढ़िगाल के सन्दर्भ में पेश किया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष का राजीनामा प्राप्त कर बाद सुनवाई राजीनामे अनुसार डिक्री पारित की है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 814 रकबा 0.12 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी है जो हमारी है राजीनामें में गलती से हो गई। अत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये एवं खसरा नम्बर 814 अपीलांट के खाते में दर्ज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामें को पढ़कर सुनकर हस्ताक्षर व अगुढ़ा निशानी की है। राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित हुई है जिसकी अपील पोषणीय नही है। अपील खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट एंव रेस्पोडेट ने स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई है विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

न्यायालय द्वारा राजीनामा पढ़कर पक्षकारों को सुनाया गया है इसके उपरान्त सहमती व्यक्त करने पर राजीनामा तस्दीक कर राजीनामें के आधार पर राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। यह डिक्री लोक अदालत की भावना से पारित की गई है अपीलांट ने अपील मेमों और वर वक्त बहस विचाराधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि होना साबित नही किया है। आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार राजीनामें से पारित डिक्री की अपील पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर